कार्यवाही विवरण

(1.) मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री गिरिश तलरेजा),खसरा कमांक–392 (पार्ट) 393, 394 एवं 398 (पार्ट), लीज एरिया–1.581 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (2.) मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री गिरधारी लाल तलरेजा), खसरा कमांक–360 (पार्ट), लीज एरिया–0.87 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (3.) मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री नरेश लाल तलरेजा), खसरा कमांक–487, लीज एरिया–0.607 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–3,822.81 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (4.) मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री रमेश लाल तलरेजा), खसरा कमांक–487, लीज एरिया–0.709 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–7,179.91 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (5.) मेसर्स श्रीमती शशिकला गुप्ता (चवेली लाईम स्टोन माईन) (प्रो. श्रीमती शशिकला गुप्ता), खसरा कमांक–391/2, लीज एरिया–1.008 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–11,438 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (6.) मेसर्स श्री भागचंद जैन (चवेली लाईम स्टोन माईन) (प्रो. श्री भागचंद जैन), खसरा कमांक–401 (पार्ट), 402/2, (पार्ट), 402/3, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5 एवं 405, लीज एरिया–2.176 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (7.) मेसर्स मनिंदर सिंह गरचा (डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो. श्री मनिंदर सिंह गरचा), खसरा कमांक–106/2 एवं 3, लीज एरिया–0.608 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (8) मेसर्स श्री शिव अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो. श्री शिव अग्रवाल), खसरा कमांक–125 (पार्ट), लीज एरिया–0.526 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–12,750 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (9) मेसर्स श्री श्याम अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो. श्री श्याम अग्रवाल), खसरा कमांक–119, लीज एरिया–1.214 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–13,125 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (10) मेसर्स श्री पवन वाधवा लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो. श्री पवन वाधवा), खसरा कमांक–23, लीज एरिया–0.631 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–18,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (11) मेसर्स श्री योगेश डाकलिया लाईम स्टोन क्वारी, (प्रो. श्री योगेश डाकलिया), खसरा कमांक–37/3, लीज एरिया–0.404 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–8,172 टन प्रतिवर्ष ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (12) मेसर्स श्रीमती दिव्या डाकलिया लाईम स्टोन क्वारी,

(प्रो. श्रीमती दिव्या डाकलिया), खसरा क्रमांक–53/3,4,5,6,7,8,9,10 एवं 55/2, लीज एरिया–1.663 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–32,156.25 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (13) मेसर्स श्री अभय कुमार जैन लाईम स्टोन, (प्रो. श्री अभय कुमार जैन), खसरा क्रमांक–107, लीज एरिया–0.587 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–16,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (14) मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी, (प्रो. श्री रितेश जैन), खसरा क्रमांक–116/3 (पार्ट), लीज एरिया–0.76 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (15) मेसर्स श्री हितेन्द्र सिंह बग्गा (डुमरडीहकला लाईम स्टोन माईन), (प्रो. श्री हितेन्द्र सिंह बग्गा), खसरा क्रमांक–117 (पार्ट), लीज एरिया–2.773 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (16) मेसर्स श्री नितिश अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी, (प्रो. श्री नितिश अग्रवाल), खसरा क्रमांक–106/1, लीज एरिया–0.955 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–14,438 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (17) मेसर्स श्री विजय अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी, (प्रो. श्री विजय अग्रवाल), खसरा क्रमांक–103/5, लीज एरिया–0.48 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–18,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोकसुनवाई दिनांक 17.09.2021 को दोपहर 12:00 बजे ग्राम पंचायत डुमरडीहकला के मंगल भवन के प्रांगण में ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत (1.) मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री गिरिश तलरेजा), खसरा क्रमांक–392 (पार्ट) 393, 394 एवं 398 (पार्ट), लीज एरिया–1.581 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (2.) मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री गिरधारी लाल तलरेजा), खसरा क्रमांक–360 (पार्ट), लीज एरिया–0.87 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (3.) मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री नरेश लाल तलरेजा), खसरा क्रमांक–487, लीज एरिया–0.607 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–3,822.81 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (4.) मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री रमेश लाल तलरेजा), खसरा क्रमांक–487, लीज एरिया–0.709 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–7,179.91 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (5.) मेसर्स श्रीमती शशिकला गुप्ता (चवेली लाईम स्टोन माईन) (प्रो. श्रीमती शशिकला गुप्ता), खसरा क्रमांक–391/2, लीज एरिया–1.008 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–11,438 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (6.) मेसर्स श्री भागचंद जैन (चवेली लाईम स्टोन माईन) (प्रो. श्री भागचंद जैन), खसरा क्रमांक–401 (पार्ट), 402/2, (पार्ट), 402/3, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5 एवं 405, लीज

एरिया–2.176 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (7.) मेसर्स मनिंदर सिंह गरचा (डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो. श्री मनिंदर सिंह गरचा), खसरा क्रमांक–106/2 एवं 3, लीज एरिया–0.608 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (8) मेसर्स श्री शिव अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो. श्री शिव अग्रवाल), खसरा क्रमांक–125 (पार्ट), लीज एरिया–0.526 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–12,750 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (9) मेसर्स श्री श्याम अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो. श्री श्याम अग्रवाल), खसरा क्रमांक–119, लीज एरिया–1.214 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–13,125 टन प्रतिवर्ष ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (10) मेसर्स श्री पवन वाधवा लाईम स्टोन क्वारी) (प्रो. श्री पवन वाधवा), खसरा क्रमांक–23, लीज एरिया–0.631 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–18,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (11) मेसर्स श्री योगेश डाकलिया लाईम स्टोन क्वारी, (प्रो. श्री योगेश डाकलिया), खसरा क्रमांक–37/3, लीज एरिया–0.404 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–8,172 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (12) मेसर्स श्रीमती दिव्या डाकलिया लाईम स्टोन क्वारी, (प्रो. श्रीमती दिव्या डाकलिया), खसरा क्रमांक–53/3,4,5,6,7,8,9,10 एवं 55/2, लीज एरिया–1.663 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–32,156.25 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (13) मेसर्स श्री अभय कुमार जैन लाईम स्टोन, (प्रो. श्री अभय कुमार जैन), खसरा क्रमांक–107, लीज एरिया–0.587 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–16,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (14) मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी, (प्रो. श्री रितेश जैन), खसरा क्रमांक–116/3 (पार्ट), लीज एरिया–0.76 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (15) मेसर्स श्री हितेन्द्र सिंह बग्गा (डुमरडीहकला लाईम स्टोन माईन), (प्रो. श्री हितेन्द्र सिंह बग्गा), खसरा क्रमांक–117 (पार्ट), लीज एरिया–2.773 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (16) मेसर्स श्री नितिश अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी, (प्रो. श्री नितिश अग्रवाल), खसरा क्रमांक–106/1, लीज एरिया–0.955 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–14,438 टन प्रतिवर्ष ग्राम– डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (17) मेसर्स श्री विजय अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी, (प्रो. श्री विजय अग्रवाल), खसरा क्रमांक–103/5, लीज एरिया–0.48 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–18,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में संयुक्त लोक सुनवाई हेतु परियोजना प्रस्तावकों के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली दिनांक 10.08.2021 एवं दैनिक भास्कर, रायपुर दिनांक 10.08.2021 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 17.09.2021 को दोपहर 12:00 बजे संयुक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में स्थल–ग्राम पंचायत डुमरडीहकला के मंगल भवन के प्रांगण में ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जनसामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–राजनांदगांव, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत खपरीखुर्द, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ठेल्काडीह, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत महरूमखुर्द, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत महरूमकला, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मरकामटोला, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पचपेड़ी, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत विचारपुर, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सेम्हरा, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत धौराभांठा, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत डोम्हाटोला, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पदुमतरा, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बासुला, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत तिलई, जिला–राजनांदगांव, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर एवं में रखी गई थी। उक्त परियोजनों के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजनों के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उपरोक्त परियोजनाओं की लोक सुनवाई निर्धारित तिथि दिनांक 17.09.2021 को दोपहर 01.00 बजे संयुक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में स्थल–ग्राम पंचायत डुमरडीहकला के मंगल भवन के प्रांगण में ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम संयुक्त कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा निर्धारित तिथी, समय एवं स्थल पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन कुमार चंद्रा द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजनाओं के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री दिनेश सिंह ठाकुर, सरपंच, ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ आज हमारे ग्राम डुमरडीहकला में जनसुनवाई हो रही है। जिसमें पर्यावरण विभाग से आए अधिकारीगण, अपर कलेक्टर मैडम, खनिज विभाग से आए अधिकारी एवं कर्मचारीगण, पुलिस विभाग से आए हुए अधिकारी एवं कर्मचारीगण आप सभी का इस ग्राम में स्वागत है। पिछले साल भी हमारे गांव में जनसुनवाई हुई थी। नवकार मिनरल्स की उसमें शिक्षा, ग्रामीण विकास में खर्च करने की बात हुई थी परन्तु उसका आज तक कोई प्रतिनिधि यहां दिखाई नहीं दिया। आदरणीय मैडम जी हम यह जानना चाहते हैं कि आज जितने खदानों की जनसुनवाई हो रही है। उसमें उक्त खदानों में कितनी राशि एवं कब तक व्यय की जाएगी। जिससे हम शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्य में खर्च कर सकें। उक्त राशि को पंचायत में जमा करें ताकि पंचायत उस राशि को योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य में खर्च कर सके। मैं खदान मालिकों से यह भी बात कहूंगा कि जो खदान से निकलने वाली अतिरिक्त मिट्टी जो खनन के समय निकलती है उसे शासकीय जमीन, सड़क किनारे, आसपास में डाल दिया जाता है जिससे हमारे पशुओं का चारा–पानी खत्म हो जाता है एवं नाले के आसपास मिट्टी डालने से नालों में अवरोध होता है, नालों में पानी का बहाव रूक जाता है। जिससे ग्राम के छोटे–छोटे किसान सिंचाई से वंचित हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अतिरिक्ति मिट्टी को कहीं फेकना चाहे तो ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों के द्वारा बताए हुए जगह में डालें अगर ग्रामवासियों को मिट्टी की आवश्यकता हो तो उन्हें मिट्टी प्रदाय किया जाये। चूंकि मैडम गांव का विकास खनिज की रॉयल्टी से होता है। गांव में रोजगार भी मिलता है और गांव का विकास अधिकतर खनिज रॉयल्टी से होता है प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि यह खनिज एरिया है कहकर, ये जो पीछे आप मंगल भवन देख रहे हैं। उसका पानी टंकी रॉयल्टी से ही बना हुआ है। धन्यवाद।

2. **श्री गोवर्धन साहू , ग्राम–खपरीखुर्द, जिला–राजनांदगांव।**

➢ अब मशीन के युग आगे हे त मजदूर मन ल काम नहीं मिले। ये खदान वाले मन ह ट्रक तीर खड़े होके येति फोन लगाथें, ओति फोन लगाथे चारों मुड़ा फोन लगात रहिथे। ऐसे काम करय कि गांव के मजदूर मन के रोजी–रोटी चलय। जब ब्लास्टिंग होथे तो ओला आदमी सहन नहीं कर सके अतेक भयानक डॉयनामाईट से ब्लास्टिंग करथे कि हमर गांव के घर मन हिल जाथे। खदान मालिक मन कहिथे कि सब मजूदर मन ल अपन जूता, मोजा लगाके आना हे त मजूदर आदमी कहां से जूता, मोजा कहां से हेलमेट लाहि ये बड़ा दुख के बात हें। डॉयनामाईट के आए से बड़ा घाटा होगे। अतका कह के मैं अपना स्थान ल ग्रहण करत हों।

3. **श्री हरि शंकर पाल, ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ क्रशर से जो ओव्हरबर्डन जो निकलता है उसे क्रशर वाले कहीं पर भी फेंक देते हैं नाला के किनारे, पशुओं के चरने की जगह में जिससे पशुओं को चारा चरने में तकलीफ हो रही है। रोड को इन्होंने पूरा खच्चर कर दिया है। खेती के लिए जो

जगह थी उसको छोड देना चाहिए। हमारे गांव वाले जब मिट्टी मांगते हैं तो कहते हैं कि डीजल का खर्चा लगेगा। 500–1000 लेकर मिट्टी डालते हैं। जब ये मिट्टी डालते हैं तो गांव वालों से पूछ लें, पंचायत से पूछ लें कि मिट्टी कहां डालना है। ये काम होना चाहिए। जो नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद।

4. **श्री दीन दयाल वर्मा , ग्राम– डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं खदान वाले भइया मन से ये निवेदन करत हंव कि जो ब्लास्टिंग करत हे 35 फीट, 40 फीट के वो ब्लास्टिंग छोटा होना चाहिए ओखर से हमर बोर मन म बहुत फर्क पड़त हे। जइसे अभी झाड़ के बात किहिस हे झाड़ आज तक कोई खदान मन में नहीं लगाये गेहे। येखर लिए ठेलकाडीह से डुमरडीह तक 02 किलोमीटर के जो रोड हे यहां रोड मन में पूरा वृक्षारोपण होना चाहिए। धन्यवाद।

5. **श्री रवि जंघेल, ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं एक बात बोलत हव ये क्रशर यूनियन जो संस्था बनाये हैं वो अपना नाम एक जगह इन्ट्री करवाये। हमन ल बहुत परेशानी होवत हे ये बात ल मैं कह नहीं सकव। झाड लगाये से एखर कोई उपचार नहीं होवय, बाउण्ड्रीवाल करवाओ। जोन जगह म क्रशर चलत हे ओ जगह म बाउण्ड्रीवाल बहुत ही जरूरी हे। झाड़ लगाये से कुछु नही होवय। 09 एकड़ के क्रशर हे तो वहां पूरा 05 एकड म बाउण्ड्रीवाल करवाओ। जब मैं रोड से गुजरथों त मोला दर्द होथे। मैं पंच, सरपंच का पांव पर लूंगा। हम जब छोटे थे, तब गाड़ा बैला में बैठकर धरसा में नहाने जाते थे।

6. **श्री श्याम रतन देशलहरे, ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं खदान मालिकों से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि उन लोगों ने जगह–जगह नालों में मिट्टी को फेंक देते हैं ओर नाला से जो हम लोगों को पानी की व्यवस्था होती थी उस नाले को इन लोग खा चुके हैं। ये लोग पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते न पौधा इन लोगों ने अभी तक लगाया नहीं है। यहां 20–25 सालों से खदान का संचालन होता है गरमी के दिनों में बहुत परेशानी होती है। आंखों में डस्ट चला जाता है जिससे आने–जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो रोड़ में पानी का छिड़काव होता है उसे कभी ध्यान नहीं देते। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पर्यावारण में ध्यान दे, गांव वालों पर भी ध्यान दें। गांव वालों को सस्ते में मिट्टी प्रदान करना चाहिए क्योंकि यह हमारे गांव की खनिज है तो कम में मिट्टी प्रदान करना चाहिए। धन्यवाद।

7. **श्री रजऊ यादव , ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ .पर्यावरण के अधिकारियों एवं यहां उपस्थित गणमान्य नागरिकों का आप सभी हार्दिक अभिनंदन है। मैं क्रशर यूनियन को अवगत कराना चाहूंगा कि कानून में है कि हर क्रेशरों में 200–300 पौधा लगाएं परन्तु आप वहां जाकर देखे 200 पौधा तो बहुत दूर की बात है आपको 50 पौधा भी नहीं मिलेगा और रिकार्डों में लिखा है कि 04 वर्षों से पौधा लगा हुआ है। मैं जानता हूं कि यह पौधा जो यहां ग्रामवासी बैठे हुए है उनके तत्वाधान में यह पौधा लगाया गया था। 01 साल में यह पौधा तैयार हो गया। मैं क्रशर यूनियन से आग्रह करता हूं कि डुमरडीहकला से ठेल्काडीह तक पौधा लगाने से कुछ

नहीं होगा उसका रख–रखाव समस्त यूनियन को करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

8. **श्री मंगल सिंह , ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मंच पर आसीन माननीय महोदया जी एवं जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन है। माननीय महोदया मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले साल भी इसी तरह जनसुनवाई का कार्यक्रम किया गया था। जिसमें ग्राम के सभी लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी उसके बाद भी क्रशर संचालित हैं। इस संबंध में अगर कुछ जानकारी पेश करना चाहें तो बेहतर होगा। दूसरी बात क्रेशर यूनियन के कोई भी सदस्य यहां मौजूद होंगे तो मैं उनसे मौखिक बात करना चाहता हूं। मेरे पीछे बैठे हुए लोगों से बता दें कि मैं गलत कह रहा हूं। मेरी सम्मानीय सरपंच जी ने भी यही बात कही है। बात सिर्फ रिकार्ड हो रही है कार्यवाही कुछ नहीं होती है। यहां बैठकर हमारा समय क्यों खराब कर रहे हैं ? एक समस्या और है जो सामने रोड बनी हुई है वह खेत आने जाने के लिए बनाया गया था न कि अवैध परिवहन के लिए वह रोड़ पहले बहुत अच्छी थी। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस रोड का निर्माण करा दें और ऐसा भी न हो कि वो जहां हो वहां खुदाई कर दें। पहले आप रोड की हालत को देखो। हाईवे से लगा हुआ 11 एकड़ जमीन है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसका आप एन0ओ0सी न दे। वहां गांव के जो युवा है वहां अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। गांव वालों को क्रशर लगने से कोई फायदा नहीं होता। ये लोग गांव में अपनी गुंडागर्दी न करें। गांव वाले जब त्यौहार कि सूचना देते है तो उसके बाद भी उसके खिलाफ जाते हैं न कि सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात रही वृक्षारोपण की और विकास की अगर किसी क्रशर का मालिक यहां बैठे हों तो वो बता दें कि हमारे गांव में उनके द्वारा कितना वृक्षारोपण किया गया है। जो भी माताएं बहने है उनकों अपने व्यवसाय के जरिये गांव की जो बुनियदी सुविधाएं है वो पूरा कर सकें। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ करियेगा। मेरा निवेदन है कि जो आज जनसुनवाई की जो कार्यवाही हो रही है व केवल लिखित में न रह जाए। उसकी प्रतिलिपि हमारे गांव में भेजी जाये कि हां जो आप लोगों ने मांग की थी वह पूरी हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि क्रशर वालों के कोई भी प्रतिनिधि जो यहां बैठे हो वो बता दे कि मेरी बातों से वे कितना सहमत है। एक बात और है ये जो घेरा करते है वे अपनी निजी भूमि का ही घेरा करें न कि हमारे गांव में एक रोड बना हुआ है उस रोड का किनारा भी हमारे गांव का है तो ये जो फेंसिंग करते है वह पूरे किनारे तक फेंसिंग करते हैं तो जितनी उनकी जगह है वहीं तक घेरा करें। हमारे गांव में एक चारागाह बना है जानवर चरते हैं उन्हें परेशानी न हो। धन्यवाद।

9. **श्री संतोष कुमार वर्मा , पंच, ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं सेठ जी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि जैसे हमारे दादा, परदादा जमीन को बेचे हैं तो नाला को तो नहीं बेचे हैं केवल जमीन को बेचे हैं, पहले वहां नाला था अब वहां कुछ नहीं है। हमारा गांव गड्ढे में है उपर पहाड़ी है ऊपर से पानी हमारे गांव में आता था और हमारे खेतों में जाता था। अब नाला पूरा बंद चुका है। मैं पटवारी साहब से निवेदन करता हूं कि उस नाला को नापा जाये और उस जगह को खाली करवाया जाये। धन्यवाद।

10. **श्री सोमदास टण्डन , ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ आदरणीय मैडम जी एवं पर्यावरण से आए सरकारी कर्मचारी अधिकारीगण और यहां पर उपस्थित हमारे सेठ जी, गांव के सभी ग्रामीणों पर्यावरण की जनसुनवाई कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरूआत में हमारे गांव के सरपंच श्री दिनेश सिंह ठाकुर जी ने बात रखी जो 03–04 बातें कि जो मिट्टी का खनन होता है तो कोई मजूदर, किसान भाई भवन निर्माण के लिए मांगते हैं तो उनको फ्री में देना चाहिए जबकि ऐसा नहीं होता और यह क्यों नहीं होता वो सेठ जी बतायेंगे। गांव डुमरडीहकला में जितने भी क्रशर है उसमें काम करने के लिए जितने भी मजदूर को जो भी सुविधा आर्थिक हो या सामाजिक जो भी हो देना चाहिए वह नहीं देते, पेपर में साईन करने तक ही सिमित रहते हैं। अगर ऐसा रवैया है तो गांव के लोगों को झूठा, लुभावना आश्वासन देना बंद कर दें। हमारे यहां जो बड़े भैय्या बैठे हुए है आदरणीय शंकर भैय्या उनके जैसा सेठ न आया है न आयेगा। जैसे अगर हमारे गांव में किसी को गिट्टी लेना है तो गिट्टी कम दाम में लेने के लिए ही जाएंगे न कि रेत के लिए तो नहीं जायेंगे। इन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि सब सुविधा देते है, कहां देते हो देकर दिखाओ और लिखित में दो ताकि हमको भी लगे कि जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग है उनसे आप लोगों का क्या लेना देना वो आप लोग जाने वर्तमान मे हम बात कर रहे हैं हमको जिस बारे मे जानकारी है हम बोलेंगे ये हमारा अधिकार है। ये जो जनसुनवाई जो राईटिंग में हो रही है आप लोग जो बोलेंगे ओर ये लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। धन्यवाद।

11. **श्री रेमन साहू , ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मेरे गणमान्य नागरिक और जितने भी सदस्य हैं सबको मेरा नमस्कार। अब मैं यह बोलना चाहता हूं अभी जो सोमदास बोलकर गये हैं उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं। मेरे निवेदन है कि मेरा जो चारागाह है पहाड़ी के ऊपर वह क्लियर करवायें। ये जो खदान, लीज वाले जो भी हैं किसानी हक का लाभ हमको नहीं मिलता वह लाभ हमको मिले। हमारी बातों को ध्यान से सुनी जाये। धन्यवाद।

12. **श्री सीताराम यादव , ग्राम– डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ जितने भी यहां खदान वाले, लीज वाले बईठे हे वो हमन ल गिट्टी कम रेट म दे आऊ छोटे ब्लास्टिंग करय। हमन के अतके कहना हे। मिटट्टी के जरूरत पड़ते तो गांव वाले मन ल देवय। बस हमर अतके कहना हे। सेठ जी मन अपन जवाबदारी लें धन्यवाद।

13. **श्रीमती योगिता देशलहरे, पंच, ग्राम– डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ अतना बड़े महामारी अइस हमर देश म लेकिन ये सेठ मन हमर गांव मे कुछ जिनिस के कोई मदद नइ करीस, हमर गांव म उकर रोजी–पानी सब चीज चलत हे त उमन ल गांव म तो देना चाहिए हक तो बनथें उकर मन के न हमर गांव म नई दे, न हमर स्कूल म नई दे न हॉस्पिटल बर नई दे । धन्यवाद।

14. **श्री हेमंत कुमार वर्मा , ग्राम– डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं ये जानना चाहता हूं कि क्रशर की खुदाई कितने फीट होनी चाहिए। जानकारी दें सकते हैं आप ? जहां 20 फीट खोदना होता है वहां ये 30 फीट, 40 फीट खोदें हैं पानी टंकी जितना खदान का गड्ढ़ा है। इतना गड्ढा खोदने की वजह, खैर आपका

इंकम हो रहा है। वहां अगले साल गाय गिरी थी महेन्द्र साहू की जिसका कम्प्लेन्ट भी हुआ था उसका निवारण अब तक नहीं हुआ है। इन सबके बारे में ऊपर तक भी गये थे लेकिन आगे कुछ नही हुआ। धन्यवाद।

15. **श्री रूपदास देशलहरे , ग्राम– डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ हमारे जो अभी वर्मा जी बोले क्रशर खदान कितने फीट खुदाई होनी चाहिए जिसकी अनुमति शासन देती है, उसका जवाब आप बताइये खदान में 50 से 80 फीट गड्ढा हो गया है। आप देख सकते हो। जितना क्रशर है यहां उसकी गहराई 50 फीट से उपर है। खदान के आसपास जितने भी किसान भाई का बोर धसक गया है बोर का मशीन बाहर नहीं आ पाता है। बोर का मशीन पड़ा हुआ है। हम लोगों को रोजमर्रा के काम में हमको ठेलकाडीह जाना पड़ता है तो रास्ते में जो 03–04 क्रशर है वहां बहुत धूल उड़ता है कई बार एक्सीडेन्ट भी हो गया है और ये लोग बताते हैं कि हम लोग ये फार्मेलिटी पूरा करते हैं ये बता दें कि कितने बार ये लोग रोड़ में पानी डाले हैं बता दे ? और अभी जो भैय्या जी बोले कि हम लोग पानी टंकी लगाकर देंगे, पंखा लगाकर देंगे। कब लगाए हमारे पास अभी 04 सरपंच है, वर्तमान, भूतपूर्व सरपंच भी हैं ये बता दें कि कब लगाया गया है। जब आप दे नहीं सकते तो बोलो मत न भई। बोर ब्लास्टिंग से बहुत नुकसान हो रहा है फसलों का, इससे बिल्डिंग में भी दरार आ जाती है। पिछली बार नवकार वाले क्रशर की लोकसुनवाई हुई थी जिसमें हम लोग आपत्ति किये थे लेकिन उनको एन.ओ.सी मिल चुकी है तो हमें ये सब बोलने से क्या मिलता है ? मिटिंग में जाते है वहां इनको मिल जाता है तो ये जनसुनवाई का क्या मतलब है ? धन्यवाद।

16. **श्री रति साहू , ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बांध के नीचे जो हमारा मैदान था। उसमें बच्चे खेलकर, दौड़कर मेहनत करके नौकरी लग चुके हैं। वहां पर जोताई करके पूरा मैदान खत्म कर दिये हैं। जितने भी क्रशर यूनियन के जिसकी भूमि 01 एकड़ की है वो 01 एकड़, 02 एकड़, 03 एकड़, शासकीय भूमि भी रखे हुए है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो उनका 01 एकड़ का पट्टा है वहीं तक सिमित रहें, जितने भी उन्होने घेरा है उसको छोड दें क्योंकि पशुओं के लिए भी चारागाह की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।

17. **श्री रेखालाल वर्मा, ग्राम– डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ ये सेठ लोगों ने जितना एरिया घेरा है 01 एकड़, 02 एकड़ जितना वो लीज लिये है वहां तक की ही सीमा को घेरकर रखें। हमारे गांव के पशु जाते हैं चरने के लिये उनको तकलीफ न हो। किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो पशु वालों को डांट खाना पड़ता है कि तुम जानवर को यहां क्यों लाये। यह सब बातें कही जाती है जो नहीं कहनी चाहिए। बोर ब्लास्टिंग न हो, छोटे ब्लास्टिंग हो ताकि सिंचाई के लिए हमने जो बोरवेल किए है ब्लास्टिंग से झटके आते हैं तो वह अंदर जमीन में चले जाते है। जिसे निकालने में बहुत तकलीफ होती है। जो सिंचित एरिया है वह असिंचित हो चुका है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि छोटे ब्लास्टिंग करें जिससे किसी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। धन्यवाद।

18. **श्री हेमंत साहू , ग्राम– डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ जितनी बातें गणमान्य नागरिक रखे हैं उनकी बात अगर साल्व हो सके तो या क्शर संघ के भइया रखे है उनकी बात जो सब बोले होंगे उनकी बात को ध्यान में रखें। अपना कार्यक्रम स्थगित करें, धन्यवाद।

19. **श्री आमीन खान, सभापति जनपद पंचायत, जिला–राजनांदगांव।**

➢ अभी मैं यहां आया तो गाड़ियों की संख्या देखी तो मेरी समझ मे आया कि गांव वालों की संख्या कम क्शर वालों की संख्या ज्यादा है। जैसा कि अभी हमारे ग्रामीणों ने आपसे कई बार सवाल किया आपने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया ऐसा क्यों ? दूसरी बात आपने कही पर्यावरण के संबंध में यहां पर जो अधिकारी हैं व इस रिपोर्ट को उच्च स्तर के अधिकारियों को भेजते हैं। उसके बाद उच्च अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो इस कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं है। आप कार्यक्रम कराकर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। यहां ग्रामीणों की मांगों को सुना नहीं जा रहा है जैसा कि अभी एक महोदय ने बताया कि पूर्व में भी हमने शिकायत दर्ज की थी, पूर्व में भी आपत्ति किया था। उसके बाद भी आप लोगों के द्वारा एन.ओ.सी जारी कर दिया गया। तो इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। यह जो आमसभा आप लोगों ने रखा है इसका इस क्षेत्र में न ही प्रचार–प्रसार किया, अगर प्रचार–प्रसार किया जाता तो यहां ग्रामीणों की संख्या बड़ी तादात में होती। मैं मेरे ग्रामीणों से पूछना चाहूगा जो यहां बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों को मालूम था कि आज आमसभा है ? कोई प्रचार–प्रसार किया गया है ? क्या मुनादी करवाया गया था ? गांव वालों के द्वारा यहां पर आकर आपत्ति दर्ज करवाया जा रहा है पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह आम सभा का कोई मतलब नहीं है। जैसे कई लोगों ने ब्लास्टिंग के संबंध में कहा जिस वक्त ब्लास्टिंग होता है उस वक्त आप किसी गरीब के घर में बैठ जाएं तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ब्लास्टिंग क्या होती है। आज ब्लास्टिंग से घरों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। एक भैय्या ने अभी नहर–नाले के संबंध में बताया तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र चवेली और डुमरडीह का पूरा नहर–नाला खत्म हो गया है। मेरे द्वारा इस संबंध में पहले भी शिकायत की गई है। खनिज विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए हैं यहां पर मैं उनसे इस संबंध में पुनः निवेदन करूंगा कि वे नाला को खोजें नाला कहां चला गया है। एक भैय्या ने पूछा की खदान की गहराई कितनी रहेगी ? उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। पिछली बार भी ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति की गई थी फिर भी आपने एन.ओ.सी जारी कर दिया। आप मेरे साथ चलिये 05 मिनट डुमरडीह और चवेली के सड़क में खड़े होकर देखें। आप तो जनसुनवाई करवाओगे और चले जाओगे लेकिन इसकी पीड़ा हर वक्त हम गांव वालों को रहती है। जब हम गावं के सड़क से गुजरते हैं। इसके पूर्व भी आपत्ति किया गया था उस पर कोई विचार नहीं हुआ। आपके पर्यावरण विभाग से संबंधित अधिकारी आए थे। मैं शिकायतकर्ता लेकिन शिकायतकर्ता को ही नहीं बुंलाया गया। तो आपका पर्यावरण विभाग सिर्फ कागजों में काम करने आता है। इसको तो आप विभाग में भी बैठकर कर सकते हैं। इस तरह आप मौन धारण करके बैठेंगे तो नहीं चलेगा। मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप आज तक इस क्षेत्र के कितने क्शर, खदानों में गई है निरीक्षण के लिए बता सकती है ? ग्रामीणों को आपको जवाब देना होगा। ग्रामीणों को जवाब

देना आपका हक है आपको ग्रामीणो को बताना चाहिए कि पर्यावरण का नियम क्या है। मुझे यह जानना है कि जो आमसभा रखा गया है उसका मतलब क्या है। जैसा कि एक भाई साहब ने बताया मिट्टी के संबंध में आप चवेली में जाकर देखें वहां 60 एकड़ जमीन होगी वहां मिट्टी फेंकी जा रही है मवेशियों के चरने के लिए भी जगह नहीं है। जितनी भी जगह थी वहां पूरी मिट्टी फेंकी गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो यह आमसभा वह सिर्फ खानापूर्ति के लिए रखा गया है इस आमसभा का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। इस बात को रिकार्ड कीजिये कि जो पर्यावरण के नियम होते हैं उसका पालन सभी क्रशर वालों को करना चाहिए। आप किसी भी क्रशर में चले जाएं वहां अगर नियमों का पालन हो रहा हो तो मुझे बता दें। आज कहीं ब्लास्टिंग नहीं होगी क्योंकि सारे अधिकारी यही हैं। खैरागढ़ रोड में नितीश अग्रवाल जी का क्रशर है जो कि रोड से लगा हुआ है जिसकी गहराई करीब–करीब 50 से 60 फीट हो चुकी है। जब ब्लास्टिंग होती है तो रोड को वहां ब्लाक किया जाता है। यह खबर कई बार पेपरों में भी छपा शायद आप तक भी पहुंचा होगा कि रोड को ब्लाक करके ब्लास्टिंग किया जाता है। ये कौन सा नियम है ? कोई नया नियम आया है क्या ? तो मेरा कहना है कि जो ये आमसभा रखी गई है तो ग्रामीणों की बातों को सुना जाये और अधिकारी उनकी बातों का लिखित रूप से जवाब दें। तो ही इस आमसभा का कोई मतलब है अन्यथा कोई मतलब नहीं है। यहां अधिकारी और क्रशर वाले कितने हैं और गांव वाले कितने हैं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा जो आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उसकी प्रति किसके नाम से होगी बताइये ? यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी ने आपत्ति दर्ज की है किसी ने भी यह नहीं बोला कि पर्यावरण से एन.ओ.सी दे दिया जाये। खनिज सम्पदा से हमारे गांव को 01 लाख मिलता है जिससे सारे क्षेत्र का विकास कार्य होता है बाकि कोई अच्छा काम नहीं होता। आपके पर्यावरण के नियम है कि हर क्रशर में वृक्षारोपण किया जाये, यहां ऐसा कौन सा क्रशर है जो वृक्षारोपण किया है मेरी बातों का जवाब दें या तो इस आम सभा को समाप्त किया जाये, इसका कोई औचित्य नहीं है। इन क्रेशरो में कितनी ही घटना घट चुकी है कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसकी पीडा को उस परिवार का आदमी ही जानता है जिसके घर में यह घटना घटित होती है। पर्यावरण के नियम बहुत सारे है लेकिन उनका पालन कहीं नहीं हो रहा है। अगर एक भी क्रशर में नियम का पालन हो रहा हो तो मुझे बताएं। धन्यवाद।

20. **श्री भुवनेश्वर लाल पाल , ग्राम–डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ खदान मे मेरी एक गाय गिर गई थी और उसका पैर टूट गया। ग्राम पंचायत में बताया, सरपंच को भी बताया परन्तु इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मेरे ख्याल से जितने खदान हैं खदान में चारों ओर घेरा मार दिया जाये ताकि आज जानवर गया है कल मनुष्य भी जा सकता है और छोटे बच्चे भी जाते रहते हैं हादसा हमेशा होते ही रहता है। निवेदन है कि खदान के अंदर घेरा बनाया जाये, प्रगति रूकती नही है, धन्यवाद।

21. **श्री अशोक कुमार साहू , ग्राम–डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ क्रशर वाले सेठ से निवेदन है कि जैसे कोई महामारी, कोरोना आती है तो स्वास्थ्य, स्कूल, ग्रामीणों को सुविधा दि जाये, धन्यवाद।

23. **श्री बैंदलाल पाल , ग्राम–डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं खपरी गांव गया तो बोला सब्जी कहां बांट रहे है, तो गिरधारी द्वारा चवेली में दिया जा रहा था। हमारे सामने बांटता था, नंदलाल कशर से सब्जी आ रहा है। चवेली कशर ने सब्जी दिया मैं इसका धन्यवाद देता हूं। जो करेगा उसका नाम तो जरूर लिया जायेगा हमारे सामने बांटते थे। धन्यवाद।

24. **श्री विजय लाल साहू , ग्राम–डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ अभी जिस संबंध में बैंदपाल भैय्या बोले हैं। मैं कहना चाहूंगा अपवाद के रूप में अगर कोई एक ने कर दिया सब्जी वितरण तो इससे सभी की जिम्मेदारी नहीं हट जाती। मेरा तो कहना यह है कि हमारे गांव में आपका गुजर–बसर हो रहा है तो आपका यह कर्तव्य है। हमने टी.वी. में देखा, अखबारो में पढ़ा है कि आप जैसे बड़े–बड़े लोग अपने मुक्त हाथों से दान किया है तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि हमको भी वही सुविधा मिलना चाहिए था। धन्यवाद।

25. **श्री दिनेश सिंह ठाकुर, सरपंच, ग्राम– डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ पुनः उद्बोधन। मैं अपर कलेक्टर महोदया जी से एक निवेदन करूंगा कि महोदय जी माइनिंग से जो फण्ड जमा होता है यह विकास के लिए होता है पर विगत 25–30 साल से हमारे एरिया में कशर संचालित हैं पंचायत वालों को अनेकों बार आवेदन दिया गया है मांग पत्र दिया गया है। उस फण्ड में केवल चार लाख 60 हजार रूपये ही मिला है जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग रहते हैं। माईनिंग का जो पैसा आता है आधा जनपद एवं ग्राम पंचायत में जाता है। चूंकि जनपद के राजपत्र में प्रकाशित है कि 07 किलोमीटर के दायरे में बांटना है। वह राशि 20–25 किलोमीटर तक के जनपद क्षेत्रों में बांटा जाता है इसमें बेन लगाया जाये। धन्यवाद।

26. **श्री गौतम महोबिया, ग्राम–खपरीखुर्द, जिला–राजनांदगांव।**

➢ इस क्षेत्र में अत्यधिक खदान है जो कि इस क्षेत्र खदान लगना ही नहीं चाहिए या जो भी हो इस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना नहीं होनी चाहिए। गांव में 20 खदान रहना बहुत बड़ी बात है। इस क्षेत्र में खदान नहीं चाहिए, धन्यवाद।

27. **श्री रेमन साहू, ग्राम–डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ कशर संघ के जितने भी सदस्य है वह पानी अनुपयोग न करे, पानी का सदुपयोग करें। हम किसान भाई है, पानी का सदुपयोग करें धन्यवाद।

28. **श्री रूपदास देशलहरे , ग्राम–डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ पुनः उद्बोधन। मैडम ने बोला है कि एन.ओ.सी. ग्राम पंचायत से होता है। बाकी हमारे गांव में 15–20 वर्ष हो गया है ग्रामसभा आज तक नही हुआ है। स्थगित भी ग्रामसभा में होता है क्या, कैसे एन.ओ.सी. मिला ? समझ में नहीं आ रहा है। मैडम, नवकार वाले को एन.ओ.सी. कैसे मिला है, बताओ ? या तो हमारे बोलने का कोई औचित्य नहीं है।

29. **श्री सूदन लाल साहू , ग्राम– डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ सुनवाई सुनवाई करके बार–बार बोलते हैं लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस जन सुनवाई का क्या मतलब है बताये ? कितने लोगों की बात सुना गया हैं यहां मेरे खेत के सामने कशर लगने वाला है, इस बारे में पच, सरपंच को बोले हैं

लेकिन उनके द्वारा एनओसी दे दिया गया है। हम लोगों का नुकसान हुआ है। मैंने कलेक्टर में भी आवेदन लगाया था, मेरे आवेदन का कोई सुनवाई नही हुआ। धन्यवाद।

30. **श्री उदय राम यादव , ग्राम– डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ मेरे खेत के सामने मिट्टी खुदा हुआ है, पंचायत को बोला हूं तो वो लोग बोलते हैं हम एन.ओ.सी. दे चुके हैं। ठेल्का डीह से पानी नाली के माध्यम से आता है, पानी पूरा रूक चुका है मिट्टी से, चवेली नाला से पानी यहां तक पहले आता था। क्रशर वाले के पास जाने से उनके द्वारा कहा जाता है कि हम पंचायत से एन.ओ.सी. ले चुके हैं। सब घूस खाकर जन सुनवाई कर रहे हैं। आप अपना नंबर दीजिये जब मैं फोन करूंगा तब आपको आना होगा, धन्यवाद।

31. **श्री मंगल सिंह , ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ पुनः उद्बोधन। आज के कार्यक्रम मे जितने भी युवा साथी एवं हमारे गणमान्य नागरिकों ने जो भी अपने बात रखी है। इस विषय में किसी को भी बुरा लगा हुआ हो तो वो पर्सनल न लें। खासकर के यूनियन के जीतने लेबर हैं। किसी भी युवा साथी से ये अगर वाद–विवाद की स्थिति लाते हैं, कई बार गांव वालों से ये लोग बहु बद्तमीजी भी कर चुके हैं। चाहे वह गांव में चंदा मांगने का मामला हो या अन्य मामला हो। तो अगर ये लोग गांव वालों से बद्तमीजी करते हैं तो बर्दास्त नहीं किया जायेगा। गांव के जितने भी युवा साथी, सरपंच साहब ने अपनी बात रखी उन लोगों की बातों को ये लोग हलके में न लें। यह बात सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं पूरे गांव वालों की ओर से कह रहा हूं। क्रशर वालों के जो कर्मचारी हैं वह भी बद्तमीजीसे बात करते हैं। तो उनको बताएं कौन छोटा है, कौन बड़ा किससे कैसे बात की जाती है। वो लोग कहते हैं कि तुम गांव वाले बस चिल्लाते हो कर कुछ नहीं सकते। मेरा कहना है कि डुमरडीह मे जो रोजगार मिलता है वह सिर्फ क्रशर से ही नहीं मिलता। वे यह गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दें और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पीछे बैठे लोग बता दें। हमारे गांव में बहुत से पढ़े लिखे लोग है जो आज एस.आई., पी.एस.सी. की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा मैदान था जिसमें हमारे साथी प्रेक्टिस करके आज आर्मी में जॉब कर रहे हैं। उस मैदान को उन्होंने अपनी मेहनत से तैयार किया था। उस मैदान को किसी क्रशर वाले ने हमारी निजी भूमि है कहकर पूरे मैदान का सत्यानाश कर दिया वो यहां आएं और बताएं कि वह जगह किसकी है। इस संबंध में मैं सरपंच साहब को भी अवगत कराया था। सरपंच साहब ने इस संबंध में कार्यवाही की है उसकी जानकारी मिलेगी कि वह जगह किसकी है। क्योंकि वह जगह इरीगेशन विभाग की जगह है। जिसका उन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया। वह वहां जाएं उस मैदान को जैसा था वैसा कर दें क्योंकि आने वाले समय में भी यही बात होगी। क्रशर वालों से निवेदन है कि वे ऐसी गैर–जिम्मेदाराना हरकत न करें।

32. **श्री दिनेश सिंह ठाकुर, सरपंच, ग्राम–डुमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

➢ पुनः उद्बोधन। ये विसंगतियाँ ऐसी है मैडम की इरीगेशन डिपार्टमेंट अधिग्रहरण तो कर लिया है पर राजस्व के रिकार्ड में आज तक नहीं है जिसके कारण क्रशर मालिक हमारी जगह है कहते हैं। बीच में अमीन पटवारी और हमारे पटवारी को बुलाया गया था। दोनों के रिकार्ड का मिलान भी किया गया था। चूंकि उस मैदान को लड़के लोग

मेहनत करके तैयार किये थे। उस मैदान के बदौलत आज मेरे घर के दो बच्चे पुलिस विभाग में लगे हैं। उस जगह को क्रशर मालिकों को द्वारा पूरा जुतवा दिया गया है, पूरा खराब कर दिया गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है अपर कलेक्टर मैडम जी की यह राजस्व का विभाग का मामला है तो आप कृपया ध्यान देंगे। धन्यवाद।

33. **श्री सूदन लाल साहू, ग्राम– डुमरडीहकला , जिला–राजनांदगांव।**

➢ हम 10–10 लाख रूपये में जमीन खरीदे हैं तो क्रशर नहीं लगायेंगे तो क्या करेंगे। तो जो लेने वाले है वो जानबूझकर तो नहीं लिये है। ये किसानी हकदल की जमीन है ऐसा करके तो वह खुद लिये हैं। यहां सब यही बोलते है 10–10 लाख में हम लिये हैं क्रशर नहीं लगायेंगे तो क्या करेंगे। धन्यवाद।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद संयुक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब संयुक्त कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन कुमार चंद्रा द्वारा उक्त परियोजनाओं के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- जैसा कि गणमान्य नागरिकों ने बोला है जिसमें बहुत सारी अच्छी चीजें बोली है। जैसा कि पौधारोपण होना चाहिए वह नहीं है। एक बात इन्होंने बोली है जो डुमरडीहकला से जो ठेलकाडीह रोड है उसके दोनों ओर पौधारोपण होना चाहिए यह अच्छी बात है क्योंकि रोड के किनारे जगह है तो खदान मालिकों से मैं कहना चाहूंगा कि वे रोड के किनारे प्लांटेशन करेंगे। सी0एस0आर0 के तहत् या नार्मल इन्वॉयरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् वृक्षारोपण करें जो ग्रामीणों की मांग भी है उस तरफ ध्यान देते हुए रोड के दोनों तरफ प्लांटेशन किया जायेगा।
- दूसरी चीज ब्लास्टिंग को लेकर जो ग्रामीणों ने बोला है कि हैवी ब्लास्टिंग होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम यह चीज करेंगे कि जो ब्लास्टिंग हो वह लाईट सेलो ब्लास्टिंग होगी जो एक एप्रूव्ड कांट्रेक्टर के द्वारा ही किया जायेगा।
- जैसा कि ग्रामीणों ने बोला है पत्थर उड़ते हैं, रोड पर आते हैं ब्लास्टिंग से दरारें मकानों में आ रही है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए लाईट सैलो ब्लास्टिंग और दिन में किसी 01 टाईम ही ब्लास्टिंग की जायेगी। जिसके लिए जो टाईम है वह निर्धारित किया जाएगा। उस टाईम में या हुडर के द्वारा या अन्य किसी चीज के द्वारा यह संकेत दिया जायेगा कि इतने टाईम ब्लास्टिंग होगी या फिर खदान मालिक गांव वालों से पहले ही बता देंगे की हम इतने टाईम ब्लास्टिंग करेंगे ताकि जिस वक्त आप यहां से गुजरे तो सचेत रहें कि हम ब्लास्टिंग करेंगे।

- दूसरी बात है कि मिट्टी को इधर–उधर डालना तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि मिट्टी के लिए जो जगह निर्धारित होती है वहां मिट्टी को डम्प करें या फिर खदान के अंदर जगह निर्धारित करके मिट्टी डम्प किया जायेगा। जिसे पौधारोपण या घास लगाने के काम मे लिया जाएगा जिससे मिट्टी न फैले। खदान मालिक यह ध्यान देंगे और यह भी सुनिश्चित करें कि जो पौधारोपण करेंगे कहा गया है और पौधारोपण नहीं हुआ है तो खदान के चारों ओर पौधारोपण कराकर उसे तारों से घेर दे जिससे जानवर न गिरें।
- धूल उत्सर्जन के लिए जैसे कई खदान ऐसे है जो बंद हैं। उनके पानी का उपयोग करके धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए पानी का छिड़काव दिन में 02 बार डुमरडीह से ठेलकाडीह तक पानी का छिड़काव करेंगे या सी0एस0आर के तहत् अभी तक जो भी काम नहीं हुआ है जैसे – स्कूलों में रेन–वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना या फिर वॉटर टैंक या वॉटर सप्लाई की व्यवस्था करना तो ये काम खदान चालू होने के पूर्व जहां– जहां ये व्यवस्था हो सकती है वो सारी चीजों की व्यवस्था की जाएगी।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 11 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजनाओं पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 29 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा दो बार उद्बोधन) के द्वारा कुल 33 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका– टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 23 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 3.05 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

संयुक्त कलेक्टर
जिला–राजनांदगांव